



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174535

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4672 सन् 2026

इस्लामुद्दीन एवं 2 अन्य

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : राम कृष्ण मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुशील दुबे

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

1. श्री सुशील कुमार दुबे, विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि उन्होंने रजिस्ट्री में वकालतनामा दाखिल कर दिया है।
2. पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार दुबे, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. यह आपराधिक पुनरीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438/442 के अंतर्गत प्रस्तुत करके मुकदमा अपराध संख्या 155 सन् 2024, धारा 307, 341, 323, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना-गुलावठी, जनपद बुलंदशहर से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 1395 सन् 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आबिद उर्फ सोनू) में पारित दिनांक 17.06.2023 के आदेश को चुनौती दी गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणवादियों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद थे, किंतु विवेचना के दौरान उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए विवेचना अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण के दौरान सूचनाकर्ता पी.डब्ल्यू. 1-इखलाख तथा घायल साक्षी पी.डब्ल्यू. 2-आदिल के बयान अभिलिखित किए गए हैं, जिन्होंने विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयानों को दोहराया है। पी.डब्ल्यू. 1 एवं पी.डब्ल्यू. 2 के कथनों के आधार पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए स्वीकार कर लिया गया, इस तथ्य पर विचार किए बगैर कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से केवल आरोप-पत्रित अभियुक्त आबिद की संलिप्तता के बारे में कहा है और किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने पुनरीक्षणवादियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने में पूर्णतः विफल रहा है और उसने आक्षेपित आदेश सतही ढंग से पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध एवं गलत है।
5. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को पूर्व अवसर पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसे सूचनाकर्ता इखलाख द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1294 सन् 2026 (इखलाख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में चुनौती दी गई थी। तत्पश्चात, इस न्यायालय ने दिनांक 26.02.2026 के आदेश द्वारा विधि के सुस्थापित प्रावधानों के अनुसार धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामले को वापस भेज दिया।
6. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि सभी पुनरीक्षणवादियों प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद थे। पी.डब्ल्यू.1-इखलाख सूचनाकर्ता तथा घायल साक्षी पी.डब्ल्यू.2-आदिल के पिता हैं। सूचनाकर्ता तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घायल दोनों ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। घायल साक्षी पी.डब्ल्यू.2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है और प्रत्येक पुनरीक्षणवादी की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है। अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री एवं साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो पुनरीक्षणवादियों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया से अधिक का मामला प्रकट करते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों एवं सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न निर्णयों एवं सिद्धांतों पर भी विचार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है।

7. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि घटना के दिन अर्थात् 13.05.2024 को सूचनाकर्ता इखलाख का पुत्र आदिल चारा बेचकर वापस घर आ रहा था, जब उसी मोहल्ले के अभियुक्त आबिद उर्फ सोनू, कामिल उर्फ नाहिद, सिब्बू उर्फ इस्लामुद्दीन ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। स्वयं को बचाने के लिए आदिल कुरैशी कब्रिस्तान में कूद गया, जहाँ चारों अभियुक्त उसके पीछे गए और आबिद उर्फ सोनू ने हत्या करने के आशय से चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे गंभीर चोट आई। प्रत्यक्षदर्शी खालिद, मुर्सलीन तथा रिजवान ने अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल को राजकीय चिकित्सालय, गुलावठी ले जाया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

8. विवेचना पूर्ण करने के पश्चात विवेचना अधिकारी ने केवल अभियुक्त आबिद उर्फ सोनू के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात वाद सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विचारण के दौरान सूचनाकर्ता/पी.डब्ल्यू.1-इखलाख तथा पी.डब्ल्यू.2 घायल साक्षी आदिल के बयान अभिलिखित किए गए। अभिलेख पर उपलब्ध दोनों पी.डब्ल्यू. के कथनों की प्रति से पता चलता है कि दोनों साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है।

9. पी.डब्ल्यू.1 सूचनाकर्ता ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुए कहा है कि वह अपने पुत्र आदिल के साथ घर वापस आ रहा था। अभियुक्तगण ने आदिल को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। आबिद के हाथ में चाकू था, जिससे उसने उसके पुत्र की गर्दन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर चोट पहुँचाई। पी.डब्ल्यू.2-आदिल ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में निम्नानुसार कहा है:

“रास्ते में ताज गार्डन के पास चार लोग, जिनमें इस्लामुद्दीन, वाजिद, आबिद उर्फ सोनू तथा शिबू खड़े थे। उक्त सभी ने मेरे साथ मारपीट की थी। सोनू तथा शिबू के हाथ में छुरी थी। मैं इन लोगों से जान बचाकर वहाँ से भागा। उक्त सभी मेरे पीछे भागे थे। मैं अँग कुरैशी वाले कब्रिस्तान में कूद गया, उक्त चारों ने मुझे वहाँ पकड़ लिया। इस्लामुद्दीन ने मुझे पीछे से आकर पकड़ा था। वाजिद ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। शिबू ने मेरे हाथों पर छुरी मारी थी। आबिद उर्फ सोनू ने गर्दन पीछे से आकर काट दी थी। इतने में मेरे पिता जी आ गए...”

10. विवेचना अधिकारी द्वारा अभिलिखित स्वतंत्र साक्षियों के विभिन्न बयान अभिलेख पर उपलब्ध हैं, जिनमें साक्षियों ने कहा है कि घटना के समय आदिल के साथ केवल आबिद उर्फ सोनू ही था, जिसने घायल साक्षी पी.डब्ल्यू.2 आदिल की गर्दन पर चाकू से चोटें पहुँचाई। उल्लेखनीय है कि एक साक्षी खालिद ने विशेष रूप से पुनरीक्षणवादियों सहित सभी चार अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान किया है तथा उनकी भूमिका उसी प्रकार निर्धारित की है, जैसा कि पी.डब्ल्यू.2 द्वारा बताया गया है।

11. यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पूर्व अवसर पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और यह वाद इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1294 सन् 2026 (इखलाख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में आया था, जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 के आदेश के माध्यम से वाद को नए सिरे से निर्णीत किए जाने हेतु वापस भेजकर निस्तारण किया गया था, जिससे यह भी प्रदर्शित होता है कि इस न्यायालय के दिनांक 26.02.2026 के आदेश के अनुपालन में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन का आक्षेपित आदेश द्वारा निर्णय किया गया है। अतः इस न्यायालय का दिनांक 26.02.2026 का आदेश वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पर लागू नहीं होता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समन किए जाने के संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णय पारित किए गए हैं और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनका धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।
13. धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने के लिए माननीय शीर्ष न्यायालय ने **हरदीप सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने की शक्ति विवेकाधीन और असाधारण है तथा किसी व्यक्ति को समन करने के लिए इसका प्रयोग विरल मामलों में किया जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य मजबूत और ठोस होना चाहिए, जो प्रथमदृष्टया मामले से अधिक मजबूत मामला दर्शाता हो, यद्यपि यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यदि उसका खंडन न किया जाए, तो वह समन किए जा रहे व्यक्ति की दोषसिद्धि की ओर ले जाए।
14. **जुहू एवं अन्य बनाम करीम एवं एक अन्य (2023) 5 एससीसी 406** के प्रकरण में माननीय शीर्ष न्यायालय ने उच्च स्तर के साक्ष्य की आवश्यकता को दोहराया है। माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने के लिए आवश्यक मानक, आरोप निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानक से बहुत अधिक उच्च है। यह मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य होना चाहिए, जो संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता की ओर संकेत करता हो।
15. हाल के एक निर्णय **नेहरू कुमार उर्फ नेहरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : (2025 आई.एन.एस.सी. 1386)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति विवेकाधीन और असाधारण है। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किए जाने की मांग की गई है, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रथमदृष्टया से अधिक मजबूत और ठोस है, किंतु दोषसिद्धि के लिए आवश्यक प्रमाण से कम है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि समन करना केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकता तथा विचारण के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दौरान अभिलिखित साक्ष्य से प्रस्तावित अभियुक्त की संलिप्तता का युक्तिसंगत रूप से संकेत मिलना चाहिए।

16. हाल के एक प्रकरण **ओमी उर्फ ओंकार राठौर एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य :**

(2025) 2 एससीसी 621 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट अथवा किसी व्यक्ति का आरोप-पत्र में सम्मिलित न किया जाना, विचारण के दौरान यदि मजबूत और ठोस साक्ष्य सामने आता है, तो धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय की उन्हें अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने की शक्ति को सीमित नहीं करता है। धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति एक स्वतंत्र न्यायिक शक्ति है। अंतिम रिपोर्ट अथवा केस डायरी में विवेचना अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान मूलभूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसके लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2014) 3 एससीसी 92 (संवैधानिक पीठ)** में निर्धारित मानक की पुनः पुष्टि करते हुए यह दोहराया है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समन करने के लिए आवश्यक परीक्षण प्रथमदृष्टया संदेह से अधिक, किंतु दोषसिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य से कुछ कम होना चाहिए। यदि साक्ष्य का खंडन न किया जाए, तो वह दोषसिद्धि की ओर ले जाने में सक्षम होना चाहिए।

17. अतः यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन का निर्णय करते समय केवल विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर ही विचार किया जाना चाहिए। दोनों साक्षी पी.डब्ल्यू.1 एवं पी.डब्ल्यू.2, घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के नाते, अपराध के कारित किए जाने में पुनरीक्षणवादियों की संलिप्तता के संबंध में उनके नाम लिए हैं, जिनकी विश्वसनीयता से धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन के निस्तारण के स्तर पर इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों की सत्यता एवं विश्वसनीयता का आकलन सभी महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण करते हुए विचारण पूर्ण होने के पश्चात ही किया जा सकता है।

18. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा ऊपर की गई विधिक विवेचना के दृष्टिगत, इस न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अथवा अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं मिलती है। पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के पुनरीक्षणाधिकारिता के प्रयोग को उचित ठहराने वाली किसी प्रत्यक्ष अन्याय अथवा न्याय के घोर विफलन को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। आक्षेपित आदेश सुविचारित है तथा साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है।

19. परिणामस्वरूप, गुण-दोष से रहित होने के कारण आपराधिक पुनरीक्षण **खारिज** किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या 155 सन् 2024, धारा 307, 341, 323, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना-गुलावठी, जनपद बुलंदशहर से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 1395 सन् 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आबिद उर्फ सोनू) में पारित दिनांक 17.06.2023 का आदेश एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

20. इसमें की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर किसी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत)

19 अगस्त, 2026

ए.डी.वाई.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”